

शरीर प्रकृत नही इलेक्ट्रॉनिक आवाज
विधेव्याग मिस्त समझी जाये पत्रावली
आइन्दा दिनांक 18/11/24 को पेश हो

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।
अतः पत्रावली आइन्दा दिनांक 18/11/24
को पेश हो।

18/11/24

22/11/24

पत्रावली प्रस्तुत। न्यायालय के इलेक्ट्रॉनिक दिनांक 26/11/24
की पालना में वकील शर्मा जफ आद तक CPC
के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है अतः CPC
के O.R.5 एवं LR Act 63(1) के तहत शर्मा
पत्र शरीर पर खारिज किया जाता है शर्मा पत्र
जेंतल शुभा लोक दाखिल करत हो व फर्क नम्बर
सि उम हो

(अजीत कुमार गोदारा)
उपस्थंड अधिकारी
अनुपगढ़

